| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26/2/20 | कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधि. अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी ।अधि. अपीलांट ने अपनी बहस के प्रारम्भ में भागीरथ पुत्र स्व.रघुनाथ द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत की प्रति की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का बिना विधिक परिक्षण किये फौरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि विवादग्रस्त भूमि के खातेदार द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत के जरिये विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के हक़ में तय की गई है। ऐसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जो अपीलांट को पाबन्द किया गया है, वह विधिविरुद्द होने से निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/वादी एवम् इस न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/रेस्पो. द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत कर विधि के विपरीत अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। अत: अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्द होने से उसकी क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे।<br><br>हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध भागीरथ पुत्र स्व.रघुनाथ द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत की प्रति के अवलोकन से यह स्पस्ट होता है कि विवादग्रस्त भूमि के खातेदार भागीरथ द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थी के हक़ में निष्पादित की गई है , ऐसी परिस्थिति में प्रकरण की इस स्टेज पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से संतुष्ट होकर आदेश जैर अपील दिनांक 24/01/2020 विधिअनुरूप प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाता है एवम् प्रंकरण मूल ही अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की प्रकरण से सम्बन्धित विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत का संज्ञान लेकर पुन: विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अपीलार्थी को यह आदेश प्रदान किये जाते है कि वे सन्दर्भित रजिस्टर्ड वसीयत की प्रति के साथ इस आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/03/2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तदनुसार अपील आशिंक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जयपुर | |

Scanned with CamScanner